



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
(एनएचएम) स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक : सी.एच./आर.बी.एस.के./2014/128

दिनांक: 29/10/2014

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बीकानेर।


विषय :- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के सम्बंध में।

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सरकार राज्य के प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य सुरक्षा व उसके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की शुरूआत कर रही है। जिसमें जन्म से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सभी सरकारी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समर्पित मोबाइल हैल्थ टीम के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बाल विकास के चार विकार (4D-Birth defect Deficiencies Diseases, Developmental Delays and Disabilities) को समय पर पहचान कर ईलाज करना है। यदि कोई बच्चा 30 चिन्हित बिमारीयों में से किसी से ग्रसित पाया गया तो उसे ईलाज के लिए रैफरल व फॉलोअप निःशुल्क प्राप्त होगा। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत आवश्यक हुआ तो सर्जिकल ईलाज भी निःशुल्क किया जायेगा।

राज्य के चयनित 12 जिलों (बांसवाड़ा, बारां, बाडमेर, बून्दी, धोलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, करौली, राजसमंद, प्रतापगढ़ व सिरोही) में दिनांक 14.11.2014 को माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार आरबीएसके का शुभारम्भ किया जा रहा है।

इसी क्रम में हमारे विभाग द्वारा चिकित्सक टीमों का आरबीएसके आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (OTS) में किया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि उपरोक्त जिलों के सम्बंधित जिला अधिकारियों/ब्लॉक प्रा0 शि0 अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आने वाली आरबीएसके मोबाइल हैल्थ टीम को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

संलग्न - आरबीएसके गाईड लाईन।



विशिष्ट शासन अधिकारी
चि0 स्वा0 एवं प0 क0 सेवायें,
व शिक्षा निदेशक, एनएचएम
दिनांक:

क्रमांक : सी.एच./आर.बी.एस.के./2014/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेद विभाग, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
5. निजी सहायक, निदेशक (आरसीएच) निदेशालय जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय।
7. रक्षित पत्रावली।


विशेष शासन सचिव
चिकित्सा एवं प० क० सेवार्य,
मिशन निदेशक, एनएचएम